फर्द अहकाम ACM आमेर जु.जयपुर

कमली बनाम गोपाल

…म न्यायालय

…स संख्या 9/23 ग्रा.प.

…म संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा मिस्तृत क्रम से	विशेष विवरण
	6/8/24	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ.उप.। पत्रावली पुरविभक्त वास्ते आदेश 15/8/2024 को पेश हो सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	14/8/24	पत्रावली प्रस्तुत। उ०फ०उप०। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसलशुदा होकर दाखिल दफ्तर हो सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Scanned with ACE Scanner

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : मिथलेश मीणा
आर.ए.एस.

नियमित प्रा. पत्र संख्या – 09/2023 प्रार्थना पत्र प्रस्तुति दिनांक –27.01.2023

1. कमली पुत्री कालूराम पनि बोदूराम, जाति जाट, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी यादव खेडा, खन्नीपुरा, जिला जयपुर राजस्थान।
2. बुगली देवी पुत्री कालूराम पत्नि श्रवण कुमार, जाति जाट, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी यादव खेडा, खन्नीपुरा, जिला जयपुर राजस्थान।
3. रामप्यारी पुत्री कालूराम पत्नि रामकँवर, जाति जाट, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी मोहनबाड़ी, तहसील – आमेर, जिला जयपुर राजस्थान।

..........प्रार्थीगण

बनाम

1. गोपाल लाल पुत्र श्री कालूराम, जाति जाट, निवासी ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान।
2. प्रभाती देवी पत्नी श्री कालूराम, जाति जाट, निवासी ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान।
3. रूघनाथ पुत्र श्री कालूराम, जाति जाट, तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान। निवासी ग्राम गोविन्दपुरा,
4. रामूलाल पुत्र श्री कालूराम, जाति जाट निवासी ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर – राजस्थान ।
5. गंगादेवी पत्नि श्री ग्यारसी लाल, जाति जाट, निवासी ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान।
6. पांचूराम पुत्र श्री ग्यारसी लाल, जाति जाट, निवासी ग्राम गे तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान । गोविन्दपुरा,
7. फूलचन्द पुत्र श्री ग्यारसी लाल, जाति जाट, निवासी ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान।
8. बिरदीचन्द पुत्र श्री ग्यारसी लाल, जाति जाट, निवासी ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान ।
9. रामलाल पुत्र श्री ग्यारसी लाल, जाति जाट, निवासी ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान।
10. लालाराम पुत्र श्री ग्यारसी लाल, जाति जाट, निवासी ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान।

सहायक कलक्टर,
आमेर मु. जयपुर

Scanned with ACE Scanner

11. श्रवणलाल पुत्र श्री श्री ग्यारसी लाल, जाति जाट, निवासी निवासी ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान ।
12. ग्यारसी लाल पुत्र भैरूराम, जाति जाट, निवासी ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर ।
14. उप पंजीयक, आमेर जिला जयपुर ।
15. नानगराम पुत्र श्री भूराराम, जाति जाट निवासी ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान।

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :–

1. श्री के.आर. शर्मा – अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री भगवान सहाय शर्मा – अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 7,10,11 की ओर से
3. श्री महेन्द्र कुमार जोशी – अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4

दिनांक 14.08.2024

निर्णय

हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने अंकित किया है कि प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी संख्या – 1, 3, 4 एक ही पिता की संतान है तथा प्रतिवादी संख्या– 2 वादीगण की माता है। प्रार्थीगण के पिता कालूराम की मृत्यु हो गयी है, वादीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात् उनके द्वारा छोड़ी गई कृषि भूमि वाकै राजस्व ग्राम गोविन्दपुरा, पटवार हल्का जयरामपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र खोराबीसल तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित प्रार्थीगण के पिता द्वारा छोडी गयी अचल सम्पत्तियाँ कृषि भूमियाँ निम्न प्रकार हैः– खसरा नम्बर 555 रकबा 0.5000 चाही 1 कुल किता 1 कुल रकबा 0.5000, खसरा नम्बर 470 रकबा 0.0400 गै. मु. रास्ता, 471 रकबा 0.0400 गै.मु. रास्ता, 473 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, 474 रकबा 0.0600 चाही 1 जाव, 475 रकबा 0.4000 चाही 1 जाव 1, 476 रकबा 0.2400 चाही 1 जाव 1, 529 रकबा 0.0500 गै.मु. आबादी, 530 रकबा 0.5600 चाही 1, 531 रकबा 0.1000 चाही 1, 532 रकबा 0.0100 गै.मु. चाह, खसरा 533 रकबा 0.0400 चाही 1 जाव 1, 534 रकबा 0.1800 चाही 1, 535 रकबा 0.4500 चाही 1, 536 रकबा 0.0100 गै.मु. झेरा, 551 रकबा 0.1200 चाही 1, 552 रकबा 0.7300 चाही 1, 553 रकबा 0.1700 चाही 1, 554 रकबा 0.2600 चाही 1 कुल किता 18 एंव खसरा नम्बर 583 रकबा 0.6263 चाही 1 जाव 1,खसरा नम्बर 522 रकबा 0.0600 बारानी 1, 523 रकबा 0.1200 बारानी 1, 524 रकबा 0.0500 बारानी 1, 525 रकबा 0.0600 बारानी 1, 526 रकबा 0.1100 बारानी 1, 527 रकबा 0.1800 जाव 1, 528 रकबा 0.5600 चाही 1 जाव 1 कुल किता 7 कुल रकबा 1.1400 एवं

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with ACE Scanner

खसरा नम्बर 583/3 रकबा 0.0250 चाही 1, 589 रकबा 0.3600 चाही 1 जाव 1 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3850 एवं खसरा नम्बर 583/1 रकबा 0.3037 चाही 1, 584 रकबा 0.1400 चाही 1 एवं 583/2 रकबा 0.2750 चाही 1 यह कि वादपत्र की मद संख्या–2 में वर्णित भूमि को आगे के मदों में सुविधा की दृष्टि से वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। यह कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या – 1 लगायत 4 का सजरा खानदान निम्न प्रकार है– नानूराम 5. कालूराम (फौत) प्रभाती पत्नी गोपाल लाल रूघनाथ पुत्र पुत्र रामूलाल बुगली देवी पुत्र पुत्री कमली देवी पुत्री रामप्यारी देवी पुत्री यह कि सारणी संख्या– 1 में वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी संवत 2075 से 2078 में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम सम्पूर्ण हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अमल है एवं सारणी संख्या– 2 में वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी संवत 2075 से 2078 में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम सम्पूर्ण हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अमल है एवं सारणी संख्या – 3 में वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी संवत 2075 से 2078 में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम सम्पूर्ण हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अमल है एवं सारणी संख्या – 4 में प्रतिवादी संख्या– 1 का हिस्सा 1/8, प्रतिवादी संख्या – 2 का हिस्सा 2/24, प्रतिवादी संख्या–3 का हिस्सा 5/24, प्रतिवादी संख्या – 4 का हिस्सा 5/24 एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या – 15 नानगराम का हिस्सा 1ध्4 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अमल है एवं सारणी संख्या 5 में वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 5 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अमल है, जो गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 में प्रतिवादी संख्या – 5 को बेचान करने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या–5 गंगादेवी का नाम दर्ज हुआ है। सारणी संख्या–6 में वर्णित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 11 के नाम दर्ज व अमल है एवं सारणी संख्या– 7 में वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या – 12 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अमल है। . यह कि प्रार्थीगण के पिता श्री कालूराम की मृत्यु हो गयी थी, स्व. श्री कालूराम की मृत्यु के समय अपने पीछे सात वारिसान जिसमें प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 छोडकर गये हैं प्रार्थीगण के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में वादग्रस्त सम्पत्ति का कोई वसीयतनामा, बँटवारानामा नही किया गया इस प्रकार प्रार्थीगण का अपने पिता की सम्पत्ति में प्रत्येक का 1/7 – 1/7 हिस्सा है। प्रार्थीगण के पिता श्री कालूराम की मृत्यु के समय वादी संख्या – 3 नाबालिग थी। यह कि वादपत्र की मद संख्या–1 में वर्णित अराजियात संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पत्ति है। जिसे प्रार्थीगण के पिता स्व. श्री कालूराम पुत्र श्री नानूराम अपने जीवनकाल से ही उपयोग, करते आ रहे थे। उपभोग यह कि प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी संख्या – 1 लगायत 4 के पिता/पति स्वर्गीय श्री कालूराम की वादग्रस्त सम्पत्ति में बराबर–बराबर हिस्सा वारिसान के हक के आधार पर रखते है जिसमें प्रत्येक का हिस्सा 1/7–1/7 कानूनी रूप से है। यह कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने चालाकी रूप से प्रार्थीगण से छिपाते हुये नाजायज रूप से फायदा उठाते हुए वादग्रस्त कृषि भूमि का श्री कालूराम

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

के फौत होने के पश्चात् वादपत्र की मद संख्या [illegible] वर्णित कृषि भूमि सारणी संख्या 1 लगायत 7 के सम्बन्ध में नामान्तकरण संख्या 3 दिनांक 13.07.1998 (तेरह जुलाई उन्नीस सो अठयानवे) गलत रूप से खुलवा लिया गया। जिसमें प्रार्थीगण को वारिसान के रूप में छिपाते हुए वादग्रस्त कृषि भूमि का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या–1 ने अपने पक्ष में 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में 1/4 हिस्सा, एवं प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में 1/4 हिस्सा खुलवा लिया गया। उसके पश्चात् राजस्व रिकॉर्ड में 1/4 – 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या– 1 लगायत 4 के पक्ष में दर्ज व अमल हो गया जबकि विरासत के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण प्रत्येक का हिस्सा 1/7–1/7 बनता है एवं वादग्रस्त आराजीयात का स्व. श्री कालूराम का विरासत का नामान्तकरण प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पक्ष में समान रूप से खुलना चाहिये था। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण संख्या 3 दिनांक 13.07.1998 (तेरह जुलाई उन्नीस सो अठयानवे) गलत रूप से खुलवा लिया गया, जिनके आधार पर जो भी राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राजात एवं इनके पश्चात् सभी राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राजात वादीगण के हक व अधिकारों के प्रति शुरू से ही प्रभावशुन्य व बेअसर है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम स्व. श्री कालूराम पुत्र श्री नानूराम के वादग्रस्त आराजीयात के हिस्से की कृषि भूमि का फर्जी, बनावटी एवं फौरी तौर पर हुए नामान्तकरण संख्या 3 दिनांक 13.07.1998 (तेरह जुलाई उन्नीस सो अठयानवे) गलत रूप से खुलवा कर निरस्त किया जाकर विरासत के आधार पर प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रत्येक को 1/7–1/7 हिस्सा का अधिकारी घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हिस्से को हजफ किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें । यह कि प्रार्थीगण को उक्त भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा मौके पर जाकर दिनांक 07.12.2022 (सात दिसम्बर दो हजार बाईस) को प्रार्थीगण से विवाद करने लगा तब प्रतिवादी संख्या–1 लगायत 4 द्वारा यह धमकी दी की आपका उक्त कृषि भूमि से कोई लेना देना नही है मैं भू–माफियाओं को बेचान कर दूंगा भू–माफिया लोग अपने आप भूमि का कब्जा ले लेगें एवं भूमि से बेदखल कर देंगे तत्पश्चात् राजस्व रिकॉर्ड एवं जमाबन्दी आदि की नकल प्रार्थीगण द्वारा प्राप्त की गई तो राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम अंकित नहीं था उसके पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की नकलें आदि प्राप्त की एवं प्रार्थीगण के पिता कालूराम के विरासत का नामान्तकरण संख्या 3 दिनांक 13.07.1998 की प्रति प्राप्त की तो उसमें भी प्रार्थीगण को कालूराम का वारिस ही नहीं बताया गया गलत रूप से नामान्तकरण संख्या 3 दिनांक 13.07.1998 केवल प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को वारिस बताते हुये तस्दीक किया गया। इस कारण से यह वाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। पत्र माननीय यह कि वादकारण दिनांक 07.12.2022 (सात दिसम्बर दो हजार बाईस) को

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with ACE Scanner

उत्पन्न होकर आज दिनांक तक निरन्तर ... कि प्रार्थीगण अपने पिता स्व. कालूराम की सम्पत्ति में प्रत्येक वादीगण 1/7–1/7 हिस्से के अधिकारी है एवम् कानूनन अभी तक मौके पर किसी प्रकार का कोई बंटवारा भी नहीं हुआ है। प्रार्थीगण अपने पिता की पैतृक सम्पत्ति में प्रत्येक प्रार्थीगण 1/7– 1/7 हिस्से के अधिकारी है व मौके पर काबिज काश्त है। प्रार्थीगण को वादग्रस्त सम्पत्ति में उनके 1/7–1/7 हिस्से से महरूम करने का है। इस प्रकार अधिकार प्रतिवादी संख्या– 1 लगायत 4 को नहीं मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी संख्या – 1 लगायत 4 के मध्य वादग्रस्त भूमि का 1/7–1/7 हिस्से के अनुसार तकासमा करवाने के अधिकारी है। यह कि प्रार्थीगण को यह अधिकार है कि वह अप्रार्थीगण को इस में प्रकार अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये तथा अप्रार्थी संख्या 14 किसी भी प्रकार के हस्तान्तरणीय लेख पत्र को तस्दीक करने से निषेद्ध रहे एवं प्रार्थीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी, राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जावे।

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में छायाप्रति जमाबंदी संवत् 2055 से 2058, 2059 से 2062, 2063 से 2067, 2070, नामान्तकरण संख्या 3 ग्राम गोविन्दपुरा तहसील आमेर, से 2058 छायाप्रति तक एवं संवत 2068 से 2071 तक की प्रमाणित प्रति, बंशीधर का पहचान पत्र एवं सांवरमल जाट का आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश की।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के उपरान्त अप्रार्थीगण की विधिवत जरिये रजिस्टर्ड एडी तलवी की गई।

अप्रार्थीण संख्या 5 लगायत 12 ने जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 एक ही पिता की सन्तान होना प्रार्थीगण स्वयं सक्षम साक्ष्य से साबित करें। उक्त मद मे सारणी संख्या 5, 6, व 7 मे वर्णित कृषि भूमि क्रमशः सारणी संख्या 5 मे वर्णित कृषि भूमि के अप्रार्थी संख्या 5. सारणी संख्या 6 मे वर्णित कृषि भूमि के अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 11 तथा सारणी संख्या 7 मे वर्णित कृषि भूमि के अप्रार्थी संख्या 12 काबिज रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है । अप्रार्थी संख्या 1 गोपाललाल पुत्र कालू एवं अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 11 ने एक विनिमय पत्र अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 11 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 508 रकबा 0.66 हैक्टयर 4 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 516 रकबा 0.12 हैक्टयर, खसरा नम्बर 516/1004 रकबा 0.14 हैक्टयर, खसरा नम्बर 518 रकबा 0.06 हैक्टयर, खसरा नम्बर 519 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 520 / 1005 रकबा 0. 07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 521 रकबा 0.46 हैक्टयर, खसरा नम्बर 556 रकबा 0.37 हैक्टयर, खसरा नम्बर 557 रकबा 0.40 हैक्टयर, खसरा नम्बर 559 रकबा 0.24

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with ACE Scanner

हैक्टयर, खसरा नम्बर 562 / 1006 रकबा 0.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 582 / 1007 रकबा 0.05 हैक्टयर, कुल किता 14 रकबा 3. 55 हैक्टयर हिस्सा 1/8 की भूमि से विनिमय विलेख (EXCHANGE DEED) अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 583 रकबा 1.23 हैक्टयर, मे हिस्सा 81/328 मे से 2937/3037, खसरा नम्बर 584 रकबा 0.14 हैक्टयर मे हिस्सा 1/4 सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 555 रकबा 0. 50 हैक्टयर मे हिस्सा 1250/5000 मे से 1150/1250, कुल रकबा 0. 4437 हैक्टयर, दिनांक 24.08.2018 को किया गया, उक्त विनिमय विलेख का पंजीयन उपपंजीयक 4 रामपुरा डाबडी द्वारा दिनांक 24.08.2018 को किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 11 की खातेदारी की सारणी संख्या 4 मे वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 522 लगायत 528 कुल किता 07 रकबा 1.14 हैक्टयर मे हिस्सा 1/8, के विनिमय विलेख द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई, जिसके बदले मे मिन अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 11 के नाम खसरा नम्बर 583, 584, 555, के कुल रकबा 0.4437 हैक्टयर भूमि दर्ज हुई है। विनिमय विलेख के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी मे मिन अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 11 के नाम भूमि खातेदारी मे दर्ज हुई। तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 व अप्रार्थी संख्या 5 तथा अप्रार्थी संख्या 12 के मध्य सारणी संख्या 4 मे वर्णित कृषि भूमि एवं 5 लगायत 7 मे वर्णित खसरा नम्बर 583 की भूमि का विधिवत् विभाजन तत्कालीन उपतहसील रामपुराडाबडी तहसील आमेर से दिनांक 26.09.2018 को करवाया। उक्त विभाजन पत्र मे खसरा नम्बर 583/2 रकबा 0.2850 हैक्टयर भूमि हिस्सा 1/4 अप्रार्थी संख्या 12 ग्यारसीलाल पुत्र भैरूराम को प्राप्त हुआ, जिसमे से अप्रार्थी संख्या 12 ने 0.01 हैक्टयर भूमि जरिये उपहार पत्र अपनी पत्नी अप्रार्थी संख्या 5 श्रीमती गंगादेवी पत्नी ग्यारसीलाल को दी। विभाजन आदेश के आधार पर नामान्तकरण स्वीकृत होकर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 व अप्रार्थी संख्या 15 के हक मे सारणी संख्या 4 मे वर्णित खसरा नम्बर 522 लगायत 528 कुल किता कुल रकबा 1.14 हैक्टयर भूमि विभाजन मे प्राप्त हुई । सारणी संख्या 5 मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 583/3 रकबा 0.0250 हैक्टयर, भूमि अप्रार्थी संख्या 5 को विक्रय पत्र से एवं जरिये 0.01 हैक्टयर भूमि बख्शीश से प्राप्त हुई तथा खसरा नम्बर 583 रकबा 0. 6263 हैक्टयर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज रही । प्रार्थनापत्र के मद संख्या 8 मे वर्णित कथन जिस प्रकार से तहरीर, तकमील किया गया है जो गलत होने के कारण अस्वीकार है । सारणी संख्या 5 लगायत 7 मे वर्णित भूमि मिन अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 12 की खातेदारी की भूमि है, जो उन्हें पंजीकृत विनिमय विलेख, विकय पत्र तथा विभाजन प्राप्त हुई, जिसमे किसी प्रकार का प्रार्थनीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 का कोई हक व अधिकार व हिस्सा निहित नही है । प्रार्थनापत्र के मद संख्या 9 मे वर्णित कथन जिस प्रकार से तहरीर, तकमील किया गया है जो गलत होने के कारण अस्वीकार है सारणी संख्या 5 लगायत 7 मे वर्णित भूमि मिन अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 12 की खातेदारी की भूमि है, जो उन्हें पंजीकृत विनिमय विलेख,

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with ACE Scanner

विक्रय पत्र तथा विभाजन प्राप्त हुई, जिसमें किसी प्रकार का प्रार्थनीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 का कोई हक व अधिकार व हिस्सा निहित नही है । नामान्तकरण संख्या 3 दिनांक 13.07.1998 का अमल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी मे होने के लगभग 25- 26 वर्षो पश्चात् राजस्व भू-अभिलेखो मे अनेको इन्द्राज हो गये है, जो रजिस्टर्ड दस्तावेजात एवं न्यायालय के विभाजन पत्र के आधार पर हुये है, कानूनन रजिस्टर्ड दस्तावेज व न्यायालय उपतहसीलदार के विभाजन आदेश के प्रभावी रहते हुए प्रार्थनीगण द्वारा उक्त मद मे वर्णित राजस्व रिकॉर्ड के इन्द्राजात को निरस्त किये जाने बाबत् वर्णित कथन कत्तेई ग्राहय नही है, बल्कि प्रार्थनीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना कानूनन पोषणीय नही है । सारणी संख्या 5 लगायत 7 मे वर्णित कृषि भूमि पंजीकृत विनिमय पत्र, विक्रय पत्र, न्यायालय उपतहसीलदार के विभाजन आदेश के आधार पर हुये विभाजन पत्र के प्रभावी रहते हुए प्रार्थनीगण खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी नही है । प्रार्थीगण का सारणी संख्या 5 लगायत 7 मे वर्णित कृषि भूमि पर कोई कब्जा काश्त नही है, बल्कि एकमात्र तन्हा रूप से अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 12 राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज खातेदारी अनुसार काबिज काश्त होकर निरन्तर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण सारणी संख्या 5 लगायत 7 मे वर्णित भूमि बाबत् बंटवारा करवाने का अधिकारिणी नही है। जब प्रार्थीगण माननीय न्यायालय से खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारिणी नही है तब ऐसी स्थिति में मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर बंटवारा करवाने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 गोपाललाल पुत्र कालू एवं अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 11 ने एक विनिमय पत्र अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 11 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 508 रकबा 0.66 हैक्टयर भूमि, खसरा नम्बर 512 रकबा 0.72 हैक्टयर, खसरा नम्बर 513/1003 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 516 रकबा 0.12. हैक्टयर, खसरा नम्बर 516/1004 रकबा 0.14 हैक्टयर, खसरा नम्बर 518 रकबा 0.06 हैक्टयर, खसरा नम्बर 519 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 520/1005 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 521 रकबा 0.46 हैक्टयर, खसरा नम्बर 556 रकबा 0.37 हैक्टयर, खसरा नम्बर 557 रकबा 0.40 हैक्टयर, खसरा नम्बर 559 रकबा 0.24 हैक्टयर, खसरा नम्बर 562/1006 रकबा 0.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 582/1007 रकबा 0.05 हैक्टयर, कुल किता 14 रकबा 3.55 हैक्टयर, हिस्सा 1/8 की भूमि से विनिमय विलेख (EXCHANGE DEED) अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 583 रकबा 1.23 हैक्टयर मे हिस्सा 81/328 मे से 2937/3037, खसरा नम्बर 584 रकबा 0.14 हैक्टयर मे हिस्सा 1/4 सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 555 रकबा 0.50 हैक्टयर मे हिस्सा 1250/5000 मे से 1150/1250, कुल रकबा 0.4437 हैक्टयर, दिनांक 24.08.2018 को किया गया, उक्त विनिमय विलेख का पंजीयन उपपंजीयक 4 रामपुरा डाबडी द्वारा दिनांक 24.08. 2018 को किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 11 की खातेदारी की

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with ACE Scanner

सारणी संख्या 4 मे वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 522 लगायत 528 कुल किता 07 रकबा 1.14 हैक्टयर मे हिस्सा 1/8, के विनिमय विलेख द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई, जिसके बदले मे मिन अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 11 के नाम खसरा नम्बर 583, 584, 555, के कुल रकबा 0.4437 हैक्टयर भूमि दर्ज हुई है। विनिमय विलेख के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी मे मिन अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 11 के नाम भूमि खातेदारी मे दर्ज हुई। तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 व अप्रार्थी संख्या 5 तथा अप्रार्थी संख्या 12 के मध्य सारणी संख्या 4 मे वर्णित कृषि भूमि एवं 5 . लगायत 7 मे वर्णित खसरा नम्बर 582 की भूमि का विधिवत विभाजन तत्कालीन उपतहसील रामपुराडाबडी तहसील आमेर से दिनांक 26.09.2018 को करवाया। उक्त विभाजन पत्र मे खसरा नम्बर 583/2 रकबा 0.2850 हैक्टयर भूमि हिस्सा 1/4 अप्रार्थी संख्या 12 ग्यारसीलाल पुत्र भैरूराम को प्राप्त हुआ, जिसमे से. अप्रार्थी संख्या 12 ने 0.01 हैक्टयर भूमि जरिये उपहार पत्र अपनी पत्नी अप्रार्थी संख्या 5 श्रीमती गंगादेवी पत्नी ग्यारसीलाल को दी। विभाजन आदेश के आधार पर नामान्तकरण स्वीकृत होकर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 व अप्रार्थी संख्या 15 के हक मे सारणी संख्या 4 मे वर्णित खसरा नम्बर 522 लगायत 528 कुल किता कुल रकबा 1.14 हैक्टयर भूमि विभाजन मे प्राप्त हुई। सारणी संख्या 5 मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 583/3 रकबा 0.0250 हैक्टयर, भूमि अप्रार्थी संख्या 5 को विक्रय पत्र से एवं जरिये 0.01 हैक्टयर भूमि बख्शीश से प्राप्त हुई तथा खसरा नम्बर 583 रकबा 0.6263 हैक्टयर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज रही । इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 12 को सारणी संख्या 5 लगायत 7 मे वर्णित भूमि जरिये रजिस्टर्ड विनिमय पत्र विक्रय पत्र एवं न्यायालय उपतहसीलदार रामपुराडाबडी के विभाजन आदेश से प्राप्त हुई है, जिनके प्रभावी रहते प्रार्थीगण का प्रार्थना माननीय न्यायालय के समक्ष पोषणीय नही होकर खारिज किये जाने योग्य हैं । कब्जा प्राप्त किये जाने के अनुतोष के बिना प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत घोषणा का प्रार्थना कानूनन मेन्टेनेबल नही है, बल्कि सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र वादकारण के अभाव मे प्रस्तुत किया है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ने अपने जवाब में अंकित किया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या– 1 लगायत 4 एक ही पिता की संतान है एवं भूमि से संबंधित विवरण रिकॉर्ड से संबंधित है, जो स्वीकार है। स्व. कालूराम की विरासत का नामान्तकरण संख्या 3 दिनांक 13.07.1998 अप्रार्थी संख्या– 1 लगायत 4 के पक्ष में खोला गया जिस आधार पर अप्रार्थी संख्या– 1 लगायत 4 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये। लेकिन स्व. कालूराम की विरासत का नामान्तकरण संख्या 3 दिनांक 13.07.1998 अप्रार्थी संख्या – 1 लगायत 4 के पक्ष में खोला गया जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या – 1 लगायत 4 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये ।

सहायक कलक्टर
आमेर प्र. जयपुर

Scanned with ACE Scanner

मद संख्या–1 में वर्णित भूमि स्व. श्री कालूराम पुत्र [illegible]नूराम की कृषि 8. भूमि रही है यह 1 कि प्रार्थना पत्र मद संख्या–8 अस्वीकार है। यहां यह उल्लेखनीय है कि स्व. श्री कालूराम की विरासत का नामान्तकरण संख्या–3 दिनांक 13.07.1998 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को पुत्र होने के नाते खोला गया था। यहां यह उल्लेखनीय है। कि अप्रार्थी संख्या–1 लगायत 4 ने कोई चालाकी नहीं की । नामान्तकरण संख्या 3 दिनांक 13.07.1998 स्व. कालूराम की विरासत की जांच करते हुये अप्रार्थी संख्या–1 लगायत 4 के पक्ष में खोला गया था एवं उसी के आधार पर खातेदारी अधिकार अप्रार्थी संख्या – 1 लगायत 4 को प्राप्त हुये । यहां यह उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी संख्या – 1 लगायत 4 के पक्ष में नामान्तकरण संख्या–3 दिनांक 13.07.1998 विरासत के आधार पर अप्रार्थी 1 लगायत 4 के पक्ष में नियमानुसार खोला गया था अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पक्ष में स्व. कालूराम की विरासत की जांच करते हुये नामान्तकरण संख्या–3 दिनांक 13.07.1998 खोला गया। 12. यह कि प्रार्थना पत्र मद संख्या – 12 अस्वीकार है । 13. यह कि प्रार्थना पत्र मद संख्या – 13 जिस तरह से लिखी गई है कतई स्वीकार नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय है कि नामान्तकरण संख्या – 3 दिनांक 13.07.1998 के आधार पर अप्रार्थी संख्या – 1 लगायत उत्तरदाता को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये है । ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण कोई तकासमा करवाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र मद संख्या–14 जिस तरह से लिखी गई है कतई स्वीकार नहीं है। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धांत प्रार्थीगण के पक्ष में कतई नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें ।

उभयपक्षीय विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजात् व उभयपक्षीय बहस का अवलोकन व मनन किया। सुसंगत न्यायिक प्रावधानों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का है। जिसमें प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू को देखा जाना है। प्रार्थी का मुख्य अभिवचन रहा है विवादित अराजियात संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पत्ति है। प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी संख्या – 1 लगायत 4 के पिता/पति स्वर्गीय श्री कालूराम की वादग्रस्त सम्पत्ति में बराबर–बराबर हिस्सा वारिसान के हक के आधार पर रखते है जिसमें प्रत्येक का हिस्सा 1/7–1/7 कानूनी रूप से है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के अधिवक्ता का मुख्य अभिवचन रहा कि अप्रार्थी संख्या – 1 लगायत 4 के पक्ष में नामान्तकरण संख्या–3 दिनांक 13.07.1998 विरासत के आधार पर अप्रार्थी 1 लगायत 4 के पक्ष में नियमानुसार खोला गया था । इसलिए कोई वादकारण अप्रार्थी संख्या – 1 लगायत 4 के पक्ष में कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ । अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 12 के अधिवक्ता का मुख्य अभिवचन रहा कि सारणी संख्या 5 में वर्णित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने प्रतिवादी संख्या 5 को विक्रय की है। सारणी नंबर 6 में वर्णित

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

भूमि विनिमय विलेख से (प्रतिवादीगण 6 लगायत 11) को प्राप्त हुयी है। एवं सारणी संख्या 7 में वर्णित भूमि सहमति विभाजन से प्राप्त हुयी है। तथा अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 12 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है एवं वादी ने वादपत्र स्वच्छ हाथों से पेश नहीं किया है अतः प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

हमने वादपत्र, जवाब व बहस का अवलोकन किया। चूंकि विवादित आराजी विवादित अराजियात संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पति है। विधि अनुसार प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी संख्या – 1 लगायत 4 के पिता/पति स्वर्गीय श्री कालूराम की वादग्रस्त सम्पत्ति में बराबर–बराबर हिस्सा वारिसान के हक के आधार पर रखते है। एवं प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 12 ने भी वादग्रस्त भूमि किसी न किसी प्रकार से प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 से प्राप्त की है अतः यदि उक्त आराजी अन्य किसी को बेची या खुर्द–बुर्द की जाती है तो प्रार्थीगण को प्रथम दृष्टया अपूरणीय क्षति होने की प्रबल संभावना है तथा वाद का औचित्य भी समाप्त हो सकता है। फलस्वरूप वाद बाहुल्यता को रोकने एवं जवाब प्रार्थना पत्र, दस्तावेज में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है। यद्यपि मूलवाद का निस्तारण उभपक्षकारान को विस्तृत रूप से सुना जाकर तथा साक्ष्यों के दृष्टिगत किया जाना है जो कि हस्तगत प्रार्थना पत्र के हाल निर्णय से किसी भी रूप में तथा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है। प्रस्तुत तथ्यों, तर्कों व दस्तावेजो के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया, तथ्यों के दृष्टिगत मात्र प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वाके ग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का जयरामपुरा, तहसील रामपुरा डाबडी के खसरा नम्बर 555, 470, 471, 473, 474, 475, 476, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 551, 552, 553, 554, 583, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 583/3, 589, 583/1, 584, 583/2 कुल किता 32 में रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Scanned with ACE Scanner